सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां जिला बारां (राज

प्रकरण संख्या 1/2016

बउनवान

रामकरण पुत्र गणेशराम आयु 58 वर्ष जाति कुमावत निवासी मून्डकिया तहसील छबड़ा जिला बारां
(प्रार्थी)

बनाम

1— करणसिंह पुत्र रामप्रताप जाति कुमावत निवासी मून्डकिया तहसील छबड़ा जिला बारां
2— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, छबड़ा जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन अधिनियम 1970

उपस्थिति :— 1— श्री ओम मेहता अभिभाषक **(प्रार्थी)**
2— श्री एन.के. गुर्जर अभिभाषक **(अप्रार्थी क्रम 1)**

निर्णय दिनांक 24.07.2017

प्रार्थी द्वारा भू—आवंटन आदेश दिनांक 08.07.1962 से अप्रसन्न होकर विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भू—आवंटन अधिनियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र जर्ये अभिभाषक इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मूण्डकिया की आराजी खसरा संख्या 122 रकबा 6.13 बीघा एवं खसरा नंबर 362 रकबा 3.10 बीघा का आवंटन दिनांक 08.07.1962 को अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया है जिसमें से खसरा नंबर 122 रकबा 6.13 बीघा पर कभी भी आवंटी का कब्जा काश्त नहीं रहा है। आवंटन नियमों के अनुसार आवंटी को 6 माह में 1/2 हिस्सा व दो वर्ष की समयावधि में आवंटित सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा प्राप्त करना आवश्यक है। यदि कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है तो आवंटन नियमों के अनुसार स्वतः ही निरस्तनीय है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थी का उसके पूर्वजों के समय से ही निरन्तर कब्जा चला आ रहा है व वर्तमान में उक्त आराजी पर प्रार्थी के मकान व मवेशियों के बांधने का बाड़ा व अन्य कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार आवंटन दिनांक से पूर्व से ही प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा होने के कारण आवंटन निरस्तनीय है। वक्त आवंटन अप्रार्थी क्रम 1 भूमिहीन नहीं था फिर भी उसके सगे भाई ने जो ग्राम पंचायत का ग्रामसेवक था ने आवंटन अधिकारी से मिलकर प्रार्थी व उसके पूर्वजों का कब्जा होते हुए भी छल व कपटपूर्वक आवंटन करवा लिया। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि अप्रार्थी क्रम 1 का नाम होने के कारण वह उक्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थी क्रम 1 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में उक्त भूमि का नियमन किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय से मूल आवंटन आदेश एवं अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण एवं पेरोकार सरकार की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को आवंटित भूमि पर आवंटी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, उक्त आराजी पर आवंटन से पूर्व से आज तक प्रार्थी व उसके पूर्वज ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा

आवंटन नियमों एवं शर्तों की पालना आदिनांक तक नही की गई है। अप्रार्थी क्रम 1 आवंटन का पात्र नहीं होते हुए भी अप्रार्थी को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों एवं प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत 2015(1) डीएनजे (राज) पृष्ठ संख्या 107 से 109 की छायाप्रति प्रस्तुत कर उसका अवलोकन करवाया।

इसके विपरीत अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने दौराने बहस व्यक्त किया कि ग्राम मूण्डकिया की आराजी खसरा संख्या 122 रकबा 6.13 बीघा एवं खसरा नंबर 362 रकबा 3.10 बीघा का आवंटन दिनांक 08.07.1962 द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के पक्ष में आवंटित हुई। आवंटन उपरांत आवंटी को आवंटित आराजी पर दखल दिया। वर्तमान में भी उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के खाते दर्ज है। प्रार्थी द्वारा 55 वर्ष की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 ने अपने कथन के समर्थन में विधि दृष्टांत आरआरटी 2008(2) पृष्ठ संख्या 834 से 839, आरआरटी 2007(2) पृष्ठ संख्या 1194 से 1197 एवं आरएलड्ब्ल्यू 2006(1) आरजे पृष्ठ संख्या 268 से 275 की छायाप्रतियां प्रस्तुत कर उनका अवलोकन करवाया।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर आपत्ति करते हुये कथन किया कि प्रार्थी ने 55 वर्ष पश्चात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही कथन किया कि अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त भूमि का विधिवत आवंटन किया गया है जिसके अनुसार ही भूमि उसके खाते में दर्ज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी निरस्त फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। हम विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार के तर्कों से पूर्णतया सहमत हैं प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई देरी का कोई समुचित कारण नही बता पाया है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई 55 वर्ष की देरी को माफ नही किया जा सकता है एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से हम यह प्रार्थना पत्र 14 (4) खारिज करना उचित समझते है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तदनुसार यह प्रार्थना पत्र 14 (4) मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां